राजस्थान सरकार

राजस्व (गुप–6) विभाग

क्रमांकः प.6(33)राजस्व/6/2001 |५ जयपुर, दिनांकः 26-07-2010

परिपत्र

राजस्थान राज्य में वर्तमान में ईंट भट्टों की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू राजस्व (ईंट भट्टों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1987 प्रभावशील है । इन नियमों के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों को तथ्यों की जांच कर उपयुक्त पाए जाने पर आवेदक को ईंट भट्टों के लिए भूमि आवंटन करने का अधिकार है ।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि वर्तमान में ऐसे ईंट भट्टे भी चल रहे हैं, जो जिला कलेक्टर की अनुमति/आवंटन के बिना स्थापित किये गये हैं अथवा अनुमति लेकर तो स्थापित किये गये हैं किन्तु स्थापित ईंट भट्टों के संचालकों द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना नहीं की जा रही है ।

अतः समस्त जिला कलेक्टरों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित समस्त ईंट भट्टों की जांच करें तथा बिना अनुमति/आवंटन के अवैध रुप से संचालित (functional) ऐसे ईंट भट्टों को विधि सम्मत प्रकिया अपनायी जाकर उनको तत्काल प्रभाव से बंद करवाने की कार्यवाही की जावे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिन ईंट भट्टों का आवंटन तो नियमानुसार किया गया है लेकिन ईंट भट्टों के संचालकों द्वारा आवंटन की निर्धारित शर्तों, मापदण्डों एवं प्रदूषण नियंत्रण/पर्यावरण संरक्षण कानूनों की पालना नहीं की जा रही है, तो ऐसे प्रकरणों में ईंट भट्टा संचालकों से वांछित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करावें । यदि ईंट भट्टों के संचालकों द्वारा निर्धारित शर्तों, मापदण्डों एवं प्रदूषण नियंत्रण/पर्यावरण संरक्षण कानूनों की पालना नहीं की जाती है तो ऐसे ईंट भट्टों को नियमानुसार तत्काल बंद कराने की कार्यवाही की जाकर सूचना राजस्व एवं पर्यावरण विभाग को प्रेषित की जावे ।

(टी. श्रीनिवासन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग ।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर ।

26.7.10
(बी.एल. आर्य)
प्रमुख शासन सचिव